

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड) (का.भा.) / डीएलबी / 25/8966

दिनांक: ०५.११.२०२५

विभागीय आदेश दिनांक 03.09.2025 द्वारा श्रीमती सरोज अग्रवाल पार्षद वार्ड संख्या 33 को सभापति नगर परिषद बूंदी के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये अधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश की निरंतरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 (1) (iv) (क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सरोज अग्रवाल पार्षद वार्ड संख्या 33 को सभापति नगर परिषद बूंदी के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिए दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ड) (का.आ.) / डीएलबी / 25/8967-8978 दिनांक: ०५.११.२०२५
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, कोटा/जिला कलक्टर बूंदी।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज० राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रयाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज० जयपुर।
7. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
8. उपखण्ड अधिकारी, बूंदी।
9. आयुक्त, नगर परिषद, बूंदी।
10. श्रीमती सरोज अग्रवाल सदस्य वार्ड नं० 33 नगर परिषद, बूंदी।
11. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
Signature valid



Digitally signed by Pratik Chandrashekhhar Julkar
Designation : Director
Date: 2025.11.03 23:34:38 IST
Reason: Approved